रा.पु.मु.ज./5–99/70,000

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं.

1. जिला.चौकी ,भ्र.नि.ब्यूरो अलवर द्वितीय ....थाना...प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर वर्ष ..2022..
   प्र. इ. रि. सं. 363/22 दिनांक 15/9/2022
2. (अ) अधिनियम भ्र0 नि0 अधिनियम संशोधित 2018..धारायें...7, पीसी एक्ट .....
   (ब) अधिनियम .....धारायें.....
   (स) अधिनियम .....धारायें.....
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....279.....समय.....3:15 pm.....
   (ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक बुधवार/14.09.2022/समय. 02.48 पी.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 08.09.2022/03.00 पी.एम.....
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा,उत्तर लगभग 85 कि0मी0 ....
   (ब) पता–मैन रोड बोदा मार्केट चोपानकी (टपूकडा) जिला अलवर बीट सख्या ...जरायमदेहीसं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो–पुलिस थाना..... जिला.....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम श्री वसीम अकरम
   (ब) पति का नाम .... श्री इलियास खांन.....
   (स) जन्म तिथि /30 वर्ष .....
   (द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....
   (य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....
   जारी होने की जगह.....
   (र) व्यवसाय..... कृषि .....
   (ल) पता–गांव खरखडी पोस्ट चुहुडपुर तहसील टपूकडा जिला अलवर ।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
   श्री रवि कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार जाति जाट उम्र 27 साल निवासी गॉव राजपुर तहसील गन्नौर थाना मुरथल जिला सोनीपत (हरियाणा) हाल हैल्पर द्वितीय (लाईनमैन सारेकला) जीएसएस हुसैपुर कार्यालय सहायक अभियंता जयपुर डिस्कॉम उप खण्ड टपूकडा जिला अलवर।
8. परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) .....
   .....11,000/–रूपये रिश्वत राशि .....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा/यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....
    .....11,000/–रूपये रिश्वत राशि .....
11. मृत्यू समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यू मामला सं0)(यदि कोई हो तो) नहीं
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

सेवा में,श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, अलवर द्वितीय अलवर। विषयः– लाईनमैन श्री रवि को रिश्वत लेते हुये पकडवाने के सम्बन्ध में। महोदय, निवेदन है कि मै वसीम अकरम पुत्र श्री इलियास खान गांव खरखडी पोस्ट चुहुडपुर तहसील टपूकडा जिला अलवर का रहने वाला हूं ।मैने मेरे नाम से विजली विभाग से घरेलु विजली कनैक्शन ले रखा है, जिसका खाता सं. 18022150 है व के नम्बर–210132025350 तथा मीटर नम्बर 3841015 है। मै मेरे घरेलू विजली कनैक्शन के बिलों का भुगतान समय समय पर करता आ रहा हूं। माह सितम्बर 2022 मै मेरे उक्त घरेलू विजली कनैक्शन की बिल राशि 18734 रूपये का मेरे मोबाईल पर मैसेज आया था जिसको मैने विजली विभाग एप से डाउनलोड कर लिया था जो पिछले माह से काफी अधिक था जिसको कम करने कराने के लिये मै विजली विभाग जी.एस.एस. हुसैपुर के लाईनमैन श्री रवि से मिला क्योंकि वह बिजली का बिल निकालकर देता है, श्री रवि लाईनमेन ने बिजली बिल की अधिक राशि को कम कराने के बदले मुझसे 14000/–रू. रिश्वत की मांग की और कहा कि मै अपने आप बिल राशि को कम करा दूंगा, मैने उससे बिल राशि को कम कराने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिये जाने के लिये कहा तो उसने कहा कि प्रार्थना पत्र देने की कोई जरूरत नहीं है, बाद मै मीटर के साथ ले लेंगे। आप तो 14000/–रू. दे दो मै अपने आप बिल राशि को कम करा दूंगा। एवं मीटर को बदलवा दूंगा। मै श्री रवि लाईनमैन को 14000/–रू. रिश्वत में नहीं देना चाहता बल्कि उसे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं, मेरी या मेरे परिवार की रवि लाईनमैन से कोई दुश्मनी नही है और नाही कोई पैसे का लेन–देन बकाया है। अतः श्री रवि लाईनमैन के खिलाफ कानूनी कार्यवाही

करने की कृपा करें। दिनांक 08.09.2022,हस्ताक्षर प्रार्थी वसीम अकरम पुत्र श्री इलियास खान जाति मेव उम्र 30 साल गांव खरखडी पोस्ट चुहुडपुर तहसील टपूकडा जिला अलवर मो0 नम्बर–9785981111, ह0 स्वतंत्र गवाह महेश कुमार गौड व कुलदीप सिंह नरूका दिनांक 14.09.2022,

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 08.09.2022 को समय 03.00 पी.एम. पर परिवादी श्री वसीम अकरम पुत्र श्री इलियास खान जाति मेव उम्र 30 साल निवासी गांव खरखडी पोस्ट चुहुडपुर तहसील टपूकडा जिला अलवर ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी अलवर द्वितीय अलवर में मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त लिखित रिपोर्ट मुझे पेश की। जिस पर मैने परिवादी की लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर रिपोर्ट में अंकित तथ्यों बाबत परिवादी से पूछताछ की गई तो उसने स्वयं का पढालिखा होना तथा उक्त लिखित रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिखित व हस्ताक्षरित होना तथा अंकित तथ्य सही होना बताया तथा मजीद दरियाफ्त पर बताया कि– मैने मेरे नाम से बिजली विभाग से घरेलु बिजली कनैक्शन ले रखा है, जिसका खाता सं. 18022150 है व के नम्बर–210132025350 तथा मीटर नम्बर 3841015 है। मै मेरे घरेलू बिजली कनैक्शन के बिलों का भुगतान समय समय पर करता आ रहा हूं। माह सितम्बर 2022 मै मेरे उक्त घरेलू बिजली कनैक्शन की बिल राशि 18734 रूपये का मेरे मोबाईल पर मैसेज आया था जिसको मैने बिजली विभाग एप से डाउनलोड कर लिया था जो पिछले माह से काफी अधिक था जिसको कम करने कराने के लिये मै बिजली विभाग जी.एस. एस. हुसैपुर के लाईनमैन श्री रवि से मिला क्योंकि वह बिजली का बिल निकालकर देता है, श्री रवि लाईनमेन ने बिजली बिल की अधिक राशि को कम कराने के बदले मुझसे 14000/–रू. रिश्वत की मांग की और कहा कि मै अपने आप बिल राशि को कम करा दूंगा, मैने उससे बिल राशि को कम कराने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिये जाने के लिये कहा तो उसने कहा कि प्रार्थना पत्र देने की कोई जरूरत नहीं है, बाद मै मीटर के साथ ले लेंगे। आप तो 14000/–रू. दे दो मै अपने आप बिल राशि को कम करा दूंगा। एवं मीटर को बदलवा दूंगा। मै श्री रवि लाईनमैन को 14000/–रू. रिश्वत में नहीं देना चाहता बल्कि उसे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं, मेरी या मेरे परिवार की रवि लाईनमैन से कोई दुश्मनी नही है और नाही कोई पैसे का लेन–देन बकाया है। मै यह कार्यवाही किसी राजनैतिक कारणों से या किसी के बहकावे में आकर नहीं बल्की स्वयं की स्वेच्छा से नाजायज तौर पर रिश्वत मांगे जाने पर करा रहा हूं। परिवादी ने अपने पास से माह सितम्बर 2022 के बिल राशि 18734/–रू. की फोटो स्वप्रमाणित प्रति एवं स्वयं के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जिन्हें बाद अवलोकन शामिल रनिंग नोट किया गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं की गई दरियाफ्त आदि से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने पर परिवादी वसीम अकरम को आरोपी श्री रवि लाईनमैन से रिश्वत राशि की मांग के संबंध में वार्ता कर उक्त वार्ता को डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड करके लाने हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया कि आज रवि लाईनमैन से बात होना सम्भव नहीं है क्योंकि मै अलवर से जब तक जीएसएस हसैपुर टपूकडा पहुंचुंगा तब तक रात हो जायेगी और रात्रि में रवि कुमार लाईनमैन जीएसएस पर नही मिलेगा, तथा दिनांक 09. 09.2022 को मुझे कोई आवश्यक कार्य है तथा 10,11,09.2022 की शनिवार व रविवार की छुट्टी है तथा छुटटी के दिन रवि लाईनमैन जीएसएस हुसैपुर पर नहीं मिलेगा वह दिनांक 12.09.2022 वार सोमवार को जीएसएस हुसैपुर पर मिलेगा जिससे उस रोज रिश्वत की मांग के संबंध में वार्ता हो सकती है। इस पर परिवादी के कहे अनुसार दिनांक 12.09.2022 को रिश्वत राशि की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना उचित समझते हुये परिवादी वसीम अकरम को कानि0 श्री निहाल सिंह के मोबाईल नम्बर 7976919574 देकर उससे दिनांक 12.09.2022 को सम्पर्क कर एवं उक्त कानि0 निहाल सिंह को कस्वा टपूकडा बस स्टेण्ड पर मिलने एवं उससे वाईस रिकार्डर प्राप्त कर उक्त कानि0 के हमराह आरोपी रवि लाईनमैन के पास जाकर उसके द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशि के संबंध में वार्ता कर उक्त वार्ता को वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करने की हिदायत कर एवं कार्यालय अलमारी से डिजीटल वॉईस रिकार्डर निकालकर उसे चालू एवं बन्द करने का तरीका बताकर उक्त वॉईस रिकार्डर को वापस कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखजाकर परिवादी को आवश्यक समझाईस एवं गोपनीयता रखने की हिदायत देकर कार्यालय से रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 12.09.2022 को समय 12.05 पीएम पर कार्यालय अलमारी से विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर निकालकर उसमें नया सैल एवं नया एसडी कार्ड डला हुआ सुनिश्चित कर चालू कर उसके किसी भी फोल्डर में पहले से कोई आवाज आदि रिकार्ड नहीं होना सुनिश्चत कर श्री निहाल सिंह कानि0 595 को डिजीटल वॉईस रिकार्ड चालू तथा बन्द करने का तरीका बताकर समय 12.20 पीएम पर जरिये फर्द सुपुर्द कर परिवादी श्री वसीम अकरम के कथनानुसार गन्तव्य स्थान कस्वा टपूकडा में बस स्टेण्ड पर समय करीब 02.30–03.00 पीएम के आस पास पहुचकर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी वसीम अकरम से उसके मोबाईल नम्बर 9785981111 पर सम्पर्क कर उसके बताये अनुसार उसको हमराह लेकर जीएसएस हुसैपुर एवं उसके द्वारा बताये हुये स्थान पर आरोपी श्री रवि लाईनमैन के पास पहुंचकर विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर को चालू कर अपनी आवाज से टैस्ट कर दिनांक

भरकर एवं परिवादी से उसका नाम बुलवाकर एवं टेप रिकार्डर प्राप्त करने संबंधी वार्ता को रिकार्ड कर चालू हालत में सुपुर्द कर परिवादी को संदिग्ध आरोपी श्री रवि लाईनमैन के पास भेजकर आरोपीं लाईनमैन द्वारा की जा रही रिश्वत की मांग के संबंध में गोपनीय सत्यापन करवाकर बाद सत्यापन विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर मय परिवादी के साथ कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर कार्यालय से समय करीब 12.30 पीएम पर रवाना किया गया, जो उसी रोज समय 6.30 पीएम पर उपस्थित कार्यालय आया एवं बताया कि मै कार्यालय से रवाना होकर बस स्टेण्ड अलवर पहुंचा एवं अलवर से जरिये बस रवाना होकर समय करीब 02.48 पीएम पर कस्वा टपूकडा में बस स्टेण्ड पर पहुंचा एवं अपने मोबाईल नम्बर 7976919574 से परिवादी वसीम अकरम के मोबाईल नम्बर 9785981111 को मिलाकर सम्पर्क किया तो परिवादी वसीम अकरम ने शीघ्र टपूकडा बस स्टेण्ड पर मिलने को कहा तथा परिवादी का इन्तजार किया तो परिवादी श्री वसीम अकरम समय करीब 03.00 पीएम के आस पास मुझे अपनी केटा कार बरंग काला सहित बस स्टेण्ड टपूकडा पर आकर मिला जिसने मुझे बताया कि मेरी अभी कुछ समय पहले आरोपी श्री रवि लाईनमैन से मोबाईल फोन पर वार्ता हुई है तो उसने मुझे जीएसएस नोगावा में मीटिग में होना बताया बताया है जिस पर मै व परिवादी वसीम अकरम उसकी केटा कार से बस स्टेण्ड टपूकडा से रवाना होकर जीएसएस नोगांवा के पास पहुंचे और रोड के एक साईड में केटा कार को खडा कर मैने अपने पास से विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर निकालकर चालू कर अपनी आवाज से टेस्ट कर एवं दिनांक भरकर एवं परिवादी से उनका नाम एवं टेप रिकार्डर प्राप्त करने की वार्ता को रिकार्ड कर चालू हालत में परिवादी वसीम अकीम अकरम जीएसएस नोगावा के अन्दर से बाहर आया और मेरे पास आकर परिवादी ने अपने पास से विभागीय टेप रिकार्डर निकालकर मुझे दिया जो चालू हालत में था जिसे मैने लेकर बन्द कर अपने पास बिना छेडछाड किये सुरक्षित रख लिया उसके बाद परिवादी ने मुझे बताया कि मेरी जीएसएस नोगांवा के अन्दर श्री रवि लाईनमैन से बिजली बिल राशि को कम करने के संबंध में वार्ता हो गई है उसने मुझसे मेरे बिजली के बिल की अधिक राशि को कम कराने एवं मीटर को बदलने की एबज में सर्व प्रथम 12 हजार रूपये एवं मेरे निवेदन करने पर 11 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की है एवं रिश्वत राशि लेकर कल आने को कहा है तो मैने उसे दिनांक 13.09.2022 को अपना किसी काम से दिल्ली जाना बताते हुये दिनांक 14.09.2022 को पैसे लेकर आने को कहा है जिस पर वह सहमत हो गया है। मेरे व रवि लाईनमैन के बीच में जो रिश्वत मांग के संबंध में बात हुई है उसे टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है। इसके बाद परिवादी वसीम अकरम ने कहा कि मुझे आवश्यक कार्य से गांव जाना है एवं दिनांक 13.09.2022 को दिल्ली जाना जरूरी है तथा आरोपी रवि लाईनमैन द्वारा मांगी गई 11 हजार रूपये की राशि का इन्तजाम भी करना है, तथा दिनांक 14.09.2022 को आरोपी द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि का इन्तजाम कर मै आपके कार्यालय अलवर में हाजिर हो जाउंगा, जिसके संबंध में मेरे द्वारा आपसे वार्ता की एवं परिवादी से वार्ता कराई तत्पश्चात आपके निर्देशानुसार मै व परिवादी केटा कार से जीएसएस नोगावा से रवाना होकर बस स्टेण्ड टपूकडा आये जहां से परिवादी को रवाना कर जरिये बस रवाना होकर वापस आ गया हूं। इस पर समय 07.00 पीएम पर श्री निहाल सिंह कानि0 से विभागीय वॉईस रिकार्डर प्राप्त कर चालू कर उसमें रिकार्ड वार्ता को ऐयरफोन की मदद से सुना गया तो उसमें रिकार्ड वार्ता से आरोपी रवि लाईनमैन द्वारा परिवादी से उसके बिजली बिल की अधिक राशि 18734 को कम कराने एवं मीटर को बदलने की एबज में 11,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना एवं रिश्वत राशि लेकर दिनांक 14.09.2022 वार बुधवार को बुलाया जाना स्पष्ट पाया गया है। वॉईस रिकार्डर को सुरक्षित मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने स्वयं के कब्जे की अलमारी में रखा गया। इसके बाद दिनांक 13.09.2022 को समय 03.00 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान तलबी बाबत् जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय अलवर के नाम तहरीर जारी कर श्री सतीश कुमार कानि0 नम्बर 275 को जरिये मोटर साईकिल कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय अलवर रवाना किया गया तथा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी अलवर प्रथम को श्री राम सिंह कानि0 549 को वास्ते इमदाद दिनांक 14.09.2022 को समय 8.00 एएम पर कार्यालय में भिजवाये जाने बाबत निवेदन किया गया, इसके बाद दिनांक 13.09.2022 को समय 5.30 पीएम पर श्री सतीश कुमार कानि0 नम्बर 275 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय अलवर से दो कार्मिक साथ लेकर आया जिनसे उनके नाम पते पूछे तो उन्होने अपना नाम कमशः महेश कुमार गौड अध्यापक एल–1, राजकीय प्रताप उच्च माध्यमिक विधालय अलवर एवं कुलदीप सिंह नरूका कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यलाय) अलवर होना बताया जिन्हें कार्यवाही से अनभिज्ञ रखते हुये दिनांक 14.09.2022 को समय 09.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत देकर रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 14.09.2022 को समय 08.00 एएम पर पाबन्द शुदा श्री रामसिंह कानि0 नम्बर 549 एसीबी कार्यालय अलवर प्रथम से उपस्थित कार्यालय आया जिसे बाद हिदायत कार्यालय में बैठाया गया, तथा समय 8.30 एएम पर परिवादी श्री बसीम अकरम अपनी केटा कार से उपस्थित

कार्यालय आया एवं मेरे समक्ष उपस्थित होकर बताया कि दिनांक 12.09.2022 को मै समय करीब 02. 30 पीएम के आस–पास अपनी केटा कार बरंग काला से बस स्टेण्ड टपूकडा पहुंच गया था, मैने आरोपी रवि लाईनमैन की उपस्थिति के संबंध में उससे उसके मोबाईल पर वार्ता की तो रवि लाईनमैन ने अपना जीएसएस नोगांवा में मीटिंग में होना बताया। इसके बाद समय करीब 02.45–2. 50 पीएम के आस पास मुझे आपके कर्मचारी श्री निहाल सिंह कानि0 ने मोबाईल फोन पर वार्ता की तो मैने उससे बस स्टेण्ड टपूकडा पर मिलने को कहा तथा कुछ समय के बाद आपका कर्मचारी श्री निहाल सिंह कानि0 बस स्टेण्ड टपूकडा पर मिल गया था, जिसे मैने बताया कि आरोपी रवि लाईनमैन जीएसएस नोगांवा पर है, जिस पर मै और निहाल सिंह कानि0 दोनो मेरी केटा कार से रवाना होकर जीएसएस नोगांवा के पास पहुंचे तथा मैने केटा कार को एक तरफ रोका जहां पर निहाल सिंह कानि0 ने टेप रिकार्डर अपने पास से निकालकर चालू कर अपनी आवाज से टेस्ट कर एवं दिनांक भरकर एवं मुझसे मेरा नाम एवं टेप प्राप्त करने की वार्ता बुलवाकर उसे रिकार्ड कर चालू हालत में मुझे दिया था जो मैने चालू हालत में अपनी पैन्ट की दाहिनी जेब में रख लिया था, उसके बाद मै टेप रिकार्डर सहित अपनी कार को जीएसएस नोगांवा परिसर में खडी करके जीएसएस नोगांवा के अन्दर चला गया तथा आपका कर्मचारी निहाल सिंह बाहर की खडा रहा, जीएसएस नोगांवा के अन्दर मुझे रवि लाईनमैन बैठा मिल गया जिससे मैने अपने बिजली बिल राशि को कम कराने के संबध में बातचीत की तो उसने मेरे अधिक राशि के बिजली बिल को कम कराने एवं मीटर बदलने की एबज में सर्वप्रथम 12 हजार रूपये तथा मेरे कम करने के निवेदन पर 11 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की एवं दिनांक 13.09.2022 को रूपये लेकर आने को कहा तो मैने उक्त दिनांक को दिल्ली किसी काम से जाना बताया हुये दिनांक 14.09.2022 को पैसे लेकर आने को कहा जिस पर वह सहमत हो गया है। मेरे व रवि लाईनमैन के बीच में जो रिश्वत मांग के संबंध में बात हुई है उसे टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया और वार्ता करने के बाद मै जीएसएस नोगावा के अन्दर से बाहर आया और अपने पास से विभागीय टेप रिकार्डर निकालकर निहाल सिंह कानि0 को दे दिया जिसे निहाल सिंह कानि0 ने बन्द कर अपने पास बिना छेडछाड किये सुरक्षित रख लिया, उसके बाद मैने रवि लाईनमैन से रिश्वत की मांग के संबंध में हुई सारी बातें उन्हें बता दी थी जिसके बारे में निहाल सिंह कानि0 ने आपको अवगत करा दिया था। इसके बाद मैने निहाल सिंह कानि0 से कहा था कि मुझे आवश्यक कार्य से गांव जाना जरूरी है तथा आरोपी रवि लाईनमैन द्वारा मांगी गई 11 हजार रूपये की राशि का इन्तजाम भी करना है, तथा राशि का इन्तजाम कर दिनांक 14.09.2022 को आपके कार्यालय में हाजिर हो जाउंगा, जिसके संबंध में निाहल सिंह कानि0 ने आपसे वार्ता की थी एवं मेरी भी आपसे वार्ता कराई थी, उसके बाद मै व निहाल सिंह कानि0 दोनो केटा कार से जीएसएस नोगावा से रवाना होकर बस स्टेण्ड टपूकडा आये जहां से मै अपने घर के लिये रवाना हो गया था और निहाल सिंह कानि0 टेप रिकार्डर को लेकर अलवर के लिये रवाना हो गये थे, आज मै आरोपी रवि लाईनमैन द्वारा मांगी गई 11 हजार रूपये की रिश्वत राशि का इन्तजाम कर साथ लेकर आया हूं, तथा परिवादी ने बताया कि आज आरोपी रवि लाईनमैन जीएसएस हुसैपुर पर मिलेगा। परिवादी को कार्यालय में बैठाया गया । इसके बाद दिनांक 14.09.2022 को समय 09.00 एएम पर पूर्व से पाबन्द शुदा गवाहान सर्व श्री महेश कुमार गौड अध्यापक एल–1, एवं कुलदीप सिंह नरूका कनिष्ठ सहायक कार्यालय में उपस्थित आये एवं मन पुलिस उप अधीक्षक से मिले जिनसे गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति प्राप्त की गई तत्पश्चात कार्यालय में उपस्थित परिवादी वसीम अकरम को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने कक्ष में बुलाकर दोनो गवाहान एवं परिवादी श्री वसीम अकरम का आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा श्री रवि लाईनमैन के विरूद्ध रि□वत मांगने एवं रि□वत लेते रंगे हाथों पकडवाने बाबत पे□ा लिखित रिपोर्ट दिनांक 08.09.2022 को दिखाया व पढवाया गया तथा रिपोर्ट पर दोनो गवाहो के हस्ताक्षर दिनांक अंकित करवाये गये, इसके बाद समय 09.15 एएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री वसीम अकरम के सामने मेरे कब्जे की कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वाईस रिकार्डर जिसमें परिवादी वसीम अकरम एवं आरोपी श्री रवि लाईनमैन के मध्य दिनांक 12.09.2022 को रूबरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता रिकार्ड है को निकालकर उक्त डिजीटल वॉईस रिकार्डर को कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से चालू कराकर उसमें रिकार्ड वार्ता के मुख्य अंशों को टेविल स्पीकरों की मदद से सुना व परिवादी एवं गवाहान को सुनाया गया जिसमें आरोपी श्री रवि लाईनमैन द्वारा परिवादी 11 हजार रू0 रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करने के लिये सहमत होना पाया गया। चूंकि रिश्वत मांग सत्यापन के समय की उक्त रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रीप्ट तैयार करने में समय अधिक लगने तथा समय अभाव के कारण रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रासक्रिप्ट व सीडीयां अभी बल्कि ट्रेप कार्यवाही के दौरान बाद में तैयार किया जाना उचित समझते हुये मांग सत्यापन की वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा सुरक्षित अपने कब्जे में लिया गया। इसके बाद समय 10.20 एएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहानं के सामने मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री वसीम अकरम को

आरोपी श्री रवि, लाईनमैन, जयपुर डिस्कॉम, टपूकडा, जिला अलवर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा तो परिवादी श्री वसीम अकरम ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के 22 नोट कुल 11,000/–रूपये (ग्यारह हजार रूपये) भारतीय चलन मुद्रा के निकाल कर मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश किये, जिनका विवरण फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित करवाया जाकर पेश शुदा नोटो को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्री रामसिंह कानि0 नम्बर 549 से कार्यालय की आलमारी के अन्दर से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवाकर मंगाई जाकर श्री रामसिंह कानि0 549 से फिनोफ्थलीन पाऊडर एक अखवार पर निकलवाकर 11,000/–रूपये के नम्बरी नोटो पर भली–भांति लगवाया गया, तत्पश्चात परिवादी श्री बसीम अकरम की जामा तलासी गवाह श्री कुलदीप सिंह नरूका से लिवाई जाकर उसके पास बदन पर पहने हुये कपडों, मोबाईल फोन, केटा कार की चाबी, के अलावा अन्य कोई वस्तु या राशि नहीं छोडी गई। इसके बाद श्री रामसिंह कानि0 से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे हुये 11,000/–रूपये के नोट परिवादी श्री बसीम अकरम के बदन पर पहनी हुई जींस पैन्ट की सामने की दाहिनी साईड की बगल वाली जेब के अन्दर रखवाये गये तथा परिवादी श्री वसीम अकरम को समझाईस की गई कि अब वह इन पाऊडरयुक्त नोटो को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी लाईनमेन श्री रवि के मांगने पर ही निकालकर उसे देवे तथा आरोपी लाईनमेन द्वारा उक्त पाउडर युक्त नोटो को प्राप्त करके कहां पर रखा जाता है, इसका पूरा–पूरा ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत में उक्त नोट प्राप्त करने पर कोई बहाना बनाकर अपनी केटा कार की पार्किंग लाईट जलाकर या मोबाईल फोन से मिसकॉल कर मुझे व ट्रेप पार्टी को ईशारा करे साथ ही दोनो गवाहो को भी हिदायत दी गई कि वे जहां तक सम्भव हो सके परिवादी व आरोपी लाईनमैन के बीच में होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने तथा होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवश्यक हिदायतें दी गई। इसके बाद श्री सतीश कुमार कानि0 नम्बर 275 से एक कांच के साफ गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया और अजय कुमार मुख्य आरक्षक से उसके हाथ साबुन व साफ पानी से साफ कराकर ट्रेप बोक्स मंगवाकर उसमें से सोडियम कार्वोनेट पाऊडर की शीशी को निकलवाकर गवाह श्री महेश कुमार गौड से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त घोल का रंग नहीं बदला, साफ सफेद ही रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री रामसिंह कानि0 549 के पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को अंगुठें सहित डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो गवाहान को नोटो पर लगाये हुये फिनोफ्थलीन व गिलास में डाले गये सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की प्रतिकिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफथलीन पाऊडर की शीशी को ढक्कन बंद करवाकर श्री रामसिंह कानि0 से वापस कार्यालय के रखी अलमारी में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की शीशी को ट्रेप बोक्स में अजयकुमार मुख्य आरक्षक के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री राम सिंह कानि0 549 से गिलास के धोवन को बाहर नाली में फिकवाया गया और काम में लिये गये अखवार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से साफ करवाया गया तथा गिलास को कार्यालय में रखवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों–कांच की खाली शीशीयां मय ढक्कन, कांच के गिलासों, एवं स्टील कटोरो एवं चम्मच आदि को अजय कुमार मुख्य आरक्षक से साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बोक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो गवाहान, परिवादी तथा अजयकुमार मुख्य आरक्षक, श्री सतीश कुमार कानि0 के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये तथा मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा भी अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये । इसके बाद परिवादी श्री वसीम अकरम को छोडकर दोनों गवाहान तथा ट्रेप पार्टी सदस्यों व मन पुलिस उप अधीक्षक की आपस में एक दूसरे से जामा तलासी लिवाई गई जिसमें दोनो गवाहो के पास मोबाईल फोन तथा मन पुलिस उप अधीक्षक एवं स्टाफ सदस्यों के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादी श्री वसीम अकरम को रिश्वत लेन–देन के समय आरोपी रवि लाईनमेन से होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वाईस रिकार्डर चालू व बन्द करने की विधि समझा कर सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय 11.45 एएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं कार्यालय स्टाफ के हाथों को साबुन व साफ पानी से साफ करवाया जाकर एवं परिवादी को बताये गये रिश्वत स्वीकृति निर्धारित ईशारे के बारे में बताया जाकर परिवादी श्री वसीम अकरम एवं कानि0 रामजीत सिंह नम्बर 206, एवं निहाल सिंह कानि0 595, श्री राजवीर सिंह कानि0 443 एवं गवाह श्री कुलदीप सिंह नरूका को परिवादी द्वारा लाई हुई उसकी केटा कार टी. नम्बर– 0622 आरजे 4499 एम बरंग काला से बाद हिदायत आगे–आगे रवाना कर

उनके पीछे पीछे मन पुलिस उप अधीक्षक मय स्टाफ सदस्य श्री अजय कुमार मुख्य आरक्षक नम्बर 36, श्री सतीश कुमार कानि0 नं0 275 एवं श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक को मय ट्रेप वोक्स एवं लेपटोप मय प्रिंटर आदि सामग्री सहित जरिये प्राईवेट वाहन लेकर एसीबी कार्यालय अलवर से रवाना कस्वा टपूकडा/जीएसएस हुसैपुर हुआ, कार्यालय में महेश कुमार चालक एवं नोटो पर पाउडर लगाने वाले कानि0 श्री राम सिंह नम्बर 549 को बाद हिदायत छोडा गया। समय 01.49 पीएम पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के कस्वा टपूकडा से 3–4 किलोमीटर पहले पहुंचा और वाहनों को रोड के बांई साईड में अलग अलग खडा करवाया जाकर परिवादी श्री वसीम अकरम को आरोपी श्री रवि लाईनमैन से उसकी उपस्थिति बाबत जानकारी करने हेतु कहा गया जिस पर समय 01.50 पीएम पर परिवादी श्री वसीम अकरम ने अपने मोबाईल फोन नम्बर–9785981111 से आरोपी श्री रवि लाईनमैन के मोबाईल फोन नम्बर–9095281111 को मिलाकर वार्ता की तो जिसमें परिवादी ने कहा कि कहां पर हो तो आरोपी ने कहा सारेकलां तो परिवादी ने कहा कि सारेकलां कहां मिलोगे तो आरोपी ने कहा अजमेरी गेट तो परिवादी ने कहा अजमेरी गेट, ये जैसे पैसा मै आपको दे दूंगा बिल कम होके तो आयेगा अगला बिल में तो नहीं जुडेगा न, तो आरोपी ने कहा अरे अगले बिल में एक रूपईया नहीं आयेगा तेरा प्रोपरली बिल आयेगा, तो परिवादी ने कहा ठीक है, इसके बाद समय करीब 1.52 पीएम पर आरोपी रवि लाईनमेन ने अपने मोबाईल नम्बर 9095281111 से परिवादी के मोबाईल नम्बर 9785981111 पर कॉल कर वार्ता की जिसमें आरोपी ने परिवादी को कहा,, मीटर मिले मीटर, तो परिवादी ने कहा मीटर तो देखे ना मै अभी आया दिल्ली से, तो आरोपी ने कहा अरे भई एक बार मीटर और देख लेना, तो परिवादी ने कहा वो तो मै देख लूंगा अब मिलना कहा है आपसे, तो आरोपी ने कहा पहले मीटर देख ले मीटर मिल जाये घर पर, और फोन कट गया, उक्त वार्ता को परिवादी के पूर्व से सुपुर्द शुदा विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड करवाया गया, तत्पश्चात समय करीब 02.05 पीएम पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय गवाहान, परिवादी एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों को परिवादी की केटा कार एवं प्राईवेट वाहन से आरोपी से हुई वार्ता एवं परिवादी के कहे अनुसार टपूकडा से आगे नूंह रोड स्थित गांव अजमेरी गेट के लिये रवाना हुआ तथा समय 02.25 पीएम पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के कस्बा टपूकडा से नूंह रोड होता हुआ परिवादी के पीछे पीछे गांव अजमेरी गेट के नजदीक पहुंचा, जहां रोड के साईड में परिवादी ने अपनी केटा कार को रोककर मन पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि आरोपी श्री रवि लाईनमैन का फोन आ रहा है तथा वह मुझे पुलिस थाना चोपानकी के पास मैन रोड बोदा मार्केट चोपानकी पर बुला रहा है, जिस पर मन पुलिस उप अधीक्षक परिवादी के कथनानुसार मय हमराहीयान गवाहान, परिवादी एवं पार्टी सदस्यों को वाहनों के जरिये लेकर मैन रोड बोदा मार्केट चोपानकी के लिये रवाना होकर समय 02.35 पीएम पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के पुलिस थाना चोपानकी के पास मैन रोड बोदा मार्केट चोपानकी के पास पहुंचा एवं वाहनों को रोड के बांई तरफ एक साईड में खडा करवाकर परिवादी वसीम अकरम की कार से पार्टी सदस्यों को उतार कर परिवादी को उसके कहे अनुसार उसकी स्वयं की केटा कार से मैन रोड बोदा मार्केट चोपानकी पर स्थित महालक्ष्मी भोजनालय के पास भेजकर केटा कार सहित खडा करवाया गया तथा पार्टी सदस्य श्री रामजीत सिंह कानि0, श्री राजवीर कानि0, श्री निहाल सिंह कानि0 व गवाह श्री कुलदीप सिंह नरूका को बाद हिदायत परिवादी की कार एवं महालक्ष्मी भोजनालय के आस पास खडा रहने की हिदायत देकर एक एक दो करके रवाना किया गया तथा मन पुलिस उप अधीक्षक मय गवाह महेश कुमार गौड एवं शेष पार्टी सदस्यों के प्राईवेट वाहन सहित परिवादी से कुछ दूरी पर वाहन में ही मुकीम रहकर परिवादी के पास आरोपी के आने एवं परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकीम हुआ। कुछ समय के बाद एक व्यक्ति लोवर–शर्ट पहने व सिर पर कैप लगाये हुये लाल रंग से अंगेजी में जेविविएनएल लिखी हुई हीरो सीडी डीलैक्स मोटर साईकिल नम्बर–आरजे–34–एसपी 6210 से परिवादी वसीम अकरम के पास उसकी केटा कार के पास आया और मोटर साईकिल को परिवादी की केटा कार से सटाकर खडी कर उक्त कार के अन्दर ड्राईवर सीट पर बैठे हुये परिवादी वसीम अकरम से वार्ता करते हुये उक्त कार के आगे से होते हुये उक्त कार के अन्दर जाकर आगे की बांयी सीट पर जाकर बैठ गया, जिस पर मन पुलिस उप अधीक्षक एवं पार्टी सदस्य परिवादी के निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे। इसके बाद समय 02.48 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादी श्री वसीम अकरम ने थाना चौपानकी के समीप मैन रोड बोदा मार्केट चौपानकी (टपूकडा) पर खडी केटा कार टी0 नं. 622 आर जे 4499 एम बरंग काला के अन्दर बैठे हुये गाडी की पार्किंग लाईट जलाकर ट्रैप का निर्धारित ईशारा किया जिस पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय गवाहान व ट्रैप पार्टी सदस्यों को साथ लेकर तुरन्त ही उक्त गाडी के पास पहुंचा तो उक्त गाडी के अन्दर बैठे हुए परिवादी वसीम अकरम ने अपने पास से डिजिटल टेप रिकॉर्डर पेश किया जिसे बंद कर सुरक्षित रखा गया, तत्पश्चात् परिवादी ने अपनी ड्राईवर सीट के पास वाली आगे की सीट पर लोवर–शर्ट पहने व सिर पर टोपी लगाए बैठे हुए व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही रवि लाईनमैन है जिन्होने अभी अभी मुझसे 11000/–रूपये रिश्वत के मॉग कर लिए है जो इसके दाहिने हाथ में है जिस पर मन

पुलिस उप अधीक्षक एवं सभी पार्टी ने देखा तो उक्त व्यक्ति के दाहिने हाथ मे 500–500रूपये के नोटों की छोटी सी गड्डी लगी हुई थी। इस पर उक्त व्यक्ति को मन उप पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने घबराते हुये अपना नाम श्री रवि कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार जाति जाट उम्र 27 साल निवासी गॉव राजपुर तहसील गन्नौर थाना मुरथल जिला सोनीपत(हरियाणा) हाल हैल्पर द्वितीय(लाईनमैन सारेकला) जीएसएस हुसैपुर कार्यालय सहायक अभियंता जयपुर डिस्कॉम उप खण्ड टपूकडा जिला अलवर होना बताया। उक्त घटना स्थल पर बैठकर अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु उपयुक्त स्थान नही होने के कारण आरोपी रवि कुमार हैल्पर द्वितीय के दाहिने हाथ में लगी हुई 500–500रूपये के नोटों की गड्डी को गवाह श्री कुलदीप सिंह नरूका कनिष्ठ सहायक को दिलवाया जाकर गिनवाया गया तो 500–500रूपये के 22 नोट कुल 11000/–रूपये मिले जिन्हे उक्त गवाह कुलदीप सिंह नरूका के पास ही सुरक्षित रखवाया जाकर मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान एवं आरोपी रवि कुमार हैल्पर द्वितीय को हमराह जरिये वाहन एवं आरोपी की मोटरसाईकिल को जरिये सतीश कुमार कानि0 हमराह साथ लेकर समय 03.00 पीएम पर पास ही स्थित पुलिस थाना चौपानकी पर पहुंचा एवं थानाधिकारी को हालात बताते हुये पुलिस थाना चौपानकी के कम्प्यूटर कक्ष में बैठकर अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की गई। तत्पश्चात् आरोपी श्री रवि कुमार हैल्पर द्वितीय से परिवादी वसीम अकरम से प्राप्त की गई रिश्वत राशि 11000 रूपये के बारे पूछा तो उसने बताया कि मैने इस वसीम अकरम से कोई रिश्वत राशि की ना तो मॉग की गई है और ना ही प्राप्त की गई है इसने जो 11000 रूपये दिये है वह अपने बिजली बिल राशि 18734 रूपये को कम कराक्र जमा कराने के लिए दिए हैं मैने इस वसीम अकरम को पुराना बिजली मीटर जमा कराकर एवं नया मीटर लगवाने के लिए एवं प्रार्थना पत्र देने के लिये कहा था, मैने कोई रिश्वत नही ली है। इसके बाद आरोपी श्री रवि कुमार हैल्पर द्वितीय द्वारा लिए गए बचाव के संबंध में उपस्थित परिवादी श्री वसीम अकरम से पूछताछ की गई तों उसने बताया कि मैने मेरे नाम से बिजली विभाग से घरेलु बिजली कनैक्शन ले रखा है, जिसका खाता सं. 18022150 है व के नम्बर–210132025350 तथा मीटर नम्बर 3841015 है। मै मेरे घरेलू बिजली कनैक्शन के बिलों का भुगतान समय समय पर करता आ रहा हूं। माह सितम्बर 2022 मै मेरे उक्त घरेलू बिजली कनैक्शन की बिल राशि 18734 रूपये का मेरे मोबाईल पर मैसेज आया था जिसको मैने बिजली विभाग एप से डाउनलोड कर लिया था जो पिछले माह से काफी अधिक था जिसको कम करने कराने के लिये मै बिजली विभाग जी.एस.एस. हुसैपुर के इस लाईनमैन श्री रवि से मिला क्योंकि ये ही बिजली का बिल निकालकर देते है तो इन्होने बिजली बिल की अधिक राशि को कम कराने के बदले मुझसे 14000/–रू. रिश्वत की मांग की और कहा कि मै अपने आप बिल राशि को कम करा दूंगा, मैने इनसे बिल राशि को कम कराने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिये जाने के लिये कहा तो इन्होने कहा कि प्रार्थना पत्र देने की कोई जरूरत नहीं है, बाद मै मीटर के साथ ले लेंगे। आप तो 14000/–रू. दे दो मै अपने आप बिल रशि को कम करा दूंगा। एवं मीटर को बदलवा दूंगा। इस पर मैने दिनांक 08.09.2022 कों इन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाने के लिए आपके विभाग में आपके पास अलवर जाकर लिखित रिपोर्ट दी थी जिस पर आपने दिनांक 12.09.2022 को मुझे अपने कर्मचारी निहाल सिह के साथ रिश्वत मॉग सत्यापन के लिए इनके पास भेजा था तो इन्होने बिल की राशि को कम करने एवं मीटर बदलने के लिए मुझसे पहले 12 हजार रूपये एवं मेरे निवेदन करने पर 11000/–रू. रिश्वत की मॉग की थी उसी मॉग के अनुसरण में इनके द्वारा आज मुझे फोन कर बुलाकर अभी अभी कुछ समय पहले मैन रोड बोदा मार्केट चौपानकी (टपूकडा) पर मोटर साईकिल से मेरे पस आकर मुझसे मेरी केटा गाडी में बैठकर 11000/–रूपये मांग कर अपने दाहिने हाथ मे लेकर गिनकर रिश्वत मे प्राप्त किये है जो इनके हाथों से गवाह को दिलवाये जाकर गवाह कुलदीप सिंह जी के पास सुरक्षित रखवा दिये है, मैने उक्त राशि के बिल को जमा करने के लिए नही बल्कि इनके द्वारा रिश्वत मॉगे जाने पर उक्त राशि रिश्वत मे दी गई है। इसके बाद आरोपी श्री रवि कुमार हैल्पर द्वितीय से परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों के संबंध में एक बार पुनः पूछताछ की गई तो आरोपी रवि कुमार लाईनमैन ने अपने पूर्व के कथनो के अलावा अन्य कोई नई बात नही बताई । तत्पश्चात पुलिस थाना चौपानकी में रखे एक पानी के कैम्पर से जरिये निहाल सिंह कानि0 एक प्लास्टिक की बोतल मे साफ पानी भरवाकर मॅगवाया गया तथा ट्रैप बॉक्स से दो स्टील के कटोरा निकलवाकर उन्हे साफ पानी व साबुन से साफ कराकर उक्त स्टील के कटोंरो में बोतल में से साफ पानी भरवाकर उनमें गवाह श्री महेश कुमार गोंड से एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो दोनो स्टील के कटोंरो के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे सभी हाजीन को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग साफ सफेद होना स्वीकार किया। इसके बाद एक स्टील कटोरा के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी श्री रवि कुमार हैल्पर द्वितीय के दाहिने हाथ की अगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीन ने देखकर धोवन का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क

आर–1, आर–2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उसके बाद दूसरे स्टील कटोरे के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी श्री रवि कुमार हैल्पर द्वितीय के बांये हाथ की अगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीन ने देखकर धोवन का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशीयों मे आधा आधा भरवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क एल 1, एल 2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री रवि कुमार हैल्पर द्वितीय द्वारा परिवादी श्री वसीम अकरम से प्राप्त की गई 11,000/–रूपये की रिश्वत राशि जो आरोपी के दाहिने हाथ मे लगी होकर गवाह श्री कुलदीप सिंह नरूका को दिलवाकर उसके पास सुरक्षित रखवाया गया था उक्त राशि को उक्त गवाह श्री कुलदीप सिंह नरूका से पुनः गिनवाया गया तो 500–500 रूपये के 22 नोट कुल 11000/–रूपये (ग्यारह हजार रूपये) होना गवाह द्वारा बताया। उक्त बरामद शुदा 11000/–रूपये के नोटो के नम्बरो का मिलान दोनो स्वतंत्र गवाहान से पूर्व मे तैयार की गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट मे अंकित नोटो के नम्बरों से करवाया गया तो नोटो के नम्बरो का मिलान हूबहू होना पाया गया। उक्त बरामद शुदा 11000/–रूपये रिश्वत नोटो के नम्बरो का विवरण फर्द में अंकित कराया जाकर बरामद शुदा नम्बरी रिश्वती नोटों को एक सफेद कागज के साथ नत्थी कर सील चिट मोहर कर कागज की चिट पर दोनों गवाहान, परिवादी के हस्ताक्षर कराकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपी श्री रवि कुमार हैल्पर द्वितीय कों परिवादी के विघुत बिल/मीटर से संबंधित रिकार्ड आदि के बारे मे पूछा गया तो उसने स्वयं के पास/कार्यालय में कोई रिकार्ड नही होना बताया। इसके बाद मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री वसीम अकरम से प्राप्त शुदा डिजिटल वाईस रिकॉडर को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में चालू कर ईयरफोन की मदद से सुना गया तो डिजिटल वाईस रिकॉडर में रिश्वत लेन–देन के समय की मोबाईल एवं रूबरू वार्ता रिकार्ड होना पाई, इसके बाद आरोपी श्री रवि कुमार हैल्पर द्वितीय व परिवादी श्री वसीम अकरम से पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिश या दुश्मनी या कोई रूपये पैसे का लेन–देन तो बकाया नही है तो दोनो ने ही अपनी अपनी स्वेच्छा से इन्कार किया। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की जाकर नमूना सील फर्द पर अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय 05.25 पीएम पर आरोपी श्री रवि कुमार हैल्पर द्वितीय द्वारा परिवादी वसीम अकरम से रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु लाल रंग से अंगेजी में जेविविएनएल लिखी हुई हीरो सीडी डीलैक्स मोटर साईकिल नम्बर–आरजे–34–एसपी 6210 बरंग काला को लेकर मैन रोड बोदा मार्केट चोपानकी पर आकर परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए पकडे जाने से उक्त मोटर साईकिल को प्रकरण में वांछित होने के कारण पृथक से जरिये फर्द जब्ती जब्त किया जाकर समय 05.35 पीएम पर उक्त जप्त शुदा मोटर साईकिल को प्रकरण मे आवश्यकता नही होने से आरोपी की सहमति अनुसार श्री दीपक कुमार हैल्पर सैकण्ड को जरिये सुपुर्दगी नामा दुरूस्त हालात मे मय चाबी सुपुर्द किया जाकर रूकसत किया गया, इसके बाद समय 06.10 पीएम पर आरोपी श्री रवि कुमार हैल्पर द्वितीय को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा जुर्म अन्तर्गत धारा 7,भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 मे गिरफ्तार गया, वक्त गिरफ्तारी जामा तलाशी में आरोपी के पास से एक मोबाईल मेक **VIVO 1917** बरंग नीला मिला जिसमें आरोपी ने सिम नम्बर 9095281111 जियो व 8814886505 ऐयरटेल लगी हुई होना तथा स्वयं का व्यक्तिगत होना बताया, इसके अतिरिक्त जामा तलाशी में 400/–रूपये नकद मिले जिन्हें स्वयं के खर्चे के होना बताया , इसके अतिरिक्त जामा तलाशी में कोई दस्तावेज दत्यादि नहीं मिले । आरोपी की जामा तलाशी में मिले उक्त मोबाईल वीवो 1917 बरंग नीला को मय दोनो सिमों सहित पृथक से वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया जाने हेतु रखा जाकर जामा तलाशी में आरोपी के मिले 400/–रूपये को आरोपी श्री रवि कुमार के कहे अनुसार मौके पर उपस्थित आये उसके मित्र श्री दीपक कुमार हैल्पर द्वितीय को सुपुर्द किया गया तथा आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना भी आरोपी के कहे अनुसार श्री दीपक कुमार हैल्पर द्वितीय को दी गई। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा समय 06.35 पीएम पर दौराने गिरफ्तारी वक्त जामा तलाशी में आरोपी श्री रवि कुमार हैल्पर द्वितीय के पास मिले मोबाईल फोन मेक एक मोबाईल मेक **VIVO 1917** बरंग नीला को सिम नम्बर 9095281111 जियो व 8814886505 ऐयरटेल लगी हुई सहित आरोपी रवि कुमार हैल्पर द्वितीय व परिवादी श्री वसीम अकरम के मध्य वार्ता होने के कारण उक्त मोबाईल फोन को मय सिम सहित वास्ते वजह सबूत जरिये फर्द जप्ती जप्त कर कब्जा पुलिस लिया जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा समय 06.45 पीएम पर आरोपी श्री रवि कुमार हैल्पर द्वितीय से परिवादी श्री वसीम अकरम से मांगी एवं प्राप्त की गई 11000/–रू. की रिश्वत राशि के बारे में पूछताछ की जाकर विस्तृत पूछताछ नोट मुर्तिव कर पढाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 07.00 पीएम पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान तथा परिवादी वसीम अकरम एवं गिरफतार शुदा आरोपी श्री रवि कुमार हैल्पर द्वितीय को मय ट्रेप पार्टी सदस्यों के सील/जप्त शुदा वजह सबूत

माल को मय ट्रेप बोक्स व सरकारी लैपटॉप मय प्रिंटर के जरिये प्राईवेट वाहनो से पुलिस थाना चोपानकी से लेकर घटना स्थल मैन रोड बोदा मार्केट चोपानकी के लिये वास्ते बनाने नक्शा मौका रवाना होकर समय 07.10 पीएम पर घटना स्थल मैन रोड बोदा मार्केट चोपानकी पहुंच दोनो गवाहान एवं परिवादी की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका व हालात मौका लाईट की रोशनी में कसीद किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल किया जाकर समय 07.35 पीएम पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान तथा परिवादी श्री वसीम अकरम एवं गिरफतार शुदा आरोपी श्री रवि कुमार हैल्पर द्वितीय को मय ट्रेप पार्टी सदस्यों के सील/जप्त शुदा वजह सबूत माल को मय ट्रेप बोक्स व सरकारी लैपटॉप मय प्रिंटर के जरिये प्राईवेट वाहनो से घटनास्थल चौपानकी (टपूकडा) जिला अलवर से लेकर रवाना होकर समय 08.45 पीएम पर ए.सी.बी. चौकी अलवर द्वितीय अलवर पर आया तथा वजह सबूत को श्री अजयकुमार मुख्य आरक्षक के सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया तथा गिरफ्तार शुदा आरोपी रवि कुमार हैल्पर द्वितीय को खाना खिलाकर राजीब गांधी सामान्य चिकित्सालय अलवर से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर बाद स्वास्थ्य परीक्षण सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना अरावली बिहार अलवर में बन्द हवालात कराकर सुरक्षित रखा गया।। इसके बाद समय 09.35 पीएम पर कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वाईस रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री वसीम अकरम एवं आरोपी श्री रवि कुमार हैल्पर द्वितीय के मध्य दिनांक 12.09.2022 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता रिकार्ड है को निकालकर उक्त डिजीटल वॉईस रिकार्डर को कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से चालू कराकर उसमें रिकार्ड वार्ता को टेबिल स्पीकरों की मदद से सुना व परिवादी एवं गवाहान को सुनाया जाकर रिकार्ड वार्तालाप की हूबहू फर्द ट्रासकिप्ट तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये, उक्त वार्ताओं में परिवादी श्री वसीम अकरम द्वारा अपनी एवं आरोपी श्री रवि कुमार हैल्पर द्वितीय की आवाज होने की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता से शब्द–ब–शब्द मिलान किया तथा वार्ता ट्रांसकिप्ट का दोनो गवाहान तथा परिवादी श्री वसीम अकरम ने सही होना स्वीकार किया, तत्पश्चात डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से तीन खाली डीवीडीयों मैक मॉडल WRITEX DVD-R DVD-RECORDABLE 120MIN/4-7 GB 16X में संग्रहित करवाया जाकर बाद मिलान वार्ता सही संग्रहित होना सुनिश्चित कर संग्रहित शुदा तीनों डीवीडीयों पर अलग अलग मार्क A-1, A-2, A-3 अंकित कराकर डीवीडीयों के उपर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये तथा तीनों डीवीडीयों में से दो डीवीडी मार्क A-1, A-2 को प्लास्टिक डीवीडी कवरों में अलग अलग रखवाकर डीवीडीयों को कवरों सहित कपडे की थैलियो में अलग अलग रखकर सुईधागे से सिलवाकर शील्ड मोहर कर थैलियों के उपर भी मार्का अंकित कराकर एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक डीवीडी मार्क A-3 को अनशील्ड वास्ते अनुसंधान पत्रावली पर रखा गया तथा शील्डशुदा डीवीडीयां मार्क A-1, A-2 को मालखाना प्रभारी को जमा मालखाना हेतु सुपुर्द किया गया। उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की डीवीडीयां बनाने में किसी भी प्रकार की कोई छेडछाड एवं कांटछाट नही की गई। इसके बाद समय 11.35 पीएम पर परिवादी से प्राप्त शुदा विभागीय डिजिटल वॉईस रिकार्डर जिसमें दिनांक 14.09.2022 को वक्त रिश्वत लेन–देन आरोपी रवि कुमार हैल्पर द्वितीय एवं परिवादी श्री वसीम अकरम के मोबाईल फोन एवं परिवादी वसीम अकरम व आरोपी रवि कुमार हैल्पर द्वितीय के मध्य हुई रिश्वत लेन–देन वार्ता रिकार्ड है, उक्त वाईस रिकार्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से कनैक्ट कराकर उसमें रिकार्ड मोबाईल एवं रूबरू लेन–देन वार्ता को टेबल स्पीकर के सहयोग से सुना व परिवादी एवं गवाहान को सुनाया जाकर रिकार्ड वार्तालाप की फर्द ट्रासकिप्ट तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त वार्ता को कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से तीन खाली डीवीडीयों मैक मॉडल WRITEX DVD-R DVD-RECORDABLE 120MIN/4-7GB 16X में संग्रहित करवाया जाकर बाद मिलान वार्ता सही संग्रहित होना सुनिश्चित कर संग्रहित शुदा तीनों डीवीडीयों पर अलग अलग मार्क B-1, B-2, B-3 अंकित कराकर डीवीडीयों के उपर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये तथा तीनों डीवीडीयों में से दो डीवीडी मार्क B-1, B-2 को प्लास्टिक डीवीडी कवरों में अलग अलग रखवाकर डीवीडीयों को कवरों सहित कपडे की थैलियो में अलग अलग रखकर सुईधागे से सिलवाकर शील्ड मोहर कर थैलियो के उपर भी मार्का अंकित कराकर एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक डीवीडी मार्क B-3 को अनशील्ड वास्ते अनुसंधान पत्रावली पर रखा गया, उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की डीवीडीयां बनाने में किसी भी प्रकार की कोई छेडछाड एवं कांटछाट नही की गई, तत्पश्चात रिश्वत मांग सत्यापन एवं वक्त कार्यवाही लेन–देन संबंधी सेव वार्ताओं के मूल एसडी कार्ड सेनडिस्क 16 जीबी को डिजीटल वाईस रिकार्डर से निकालकर एक सफेद कागज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर

कराकर उक्त एसडी कार्ड को उस कागज में रखकर वास्ते बजह सबूत एसडी कार्ड को कागज की चिट सहित एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर मार्क **SD** अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा दोनो शील्डशुदा डीवीडी मार्क **B-1, B-2** को एवं शील्ड एसडी कार्ड मार्क–**SD** को मालखाना प्रभारी को जमा मालखाना हेतु सुपुर्द किया गया तथा दिनांक 15.09.2022 को समय 01.30 एएमः पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री बसीम अकरम की उपस्थिति में ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने हेतु काम में ली गई पीतल की नमूना सील को जरिये कानि0 निहाल सिंह नम्बर 595 नष्ट करवाया जाकर फर्द पृथक से मुर्तिब कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की जाकर एक प्रति गवाह कुलदीप सिंह को दी गई तत्पश्चात समय 02.30 एएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री महेश कुमार गौड व श्री कुलदीप सिंह नरूका एवं परिवादी श्री बसीम अकरम को बाद सम्पन्न कार्यवाही हिदायत देकर कार्यालय से रूकसत किया गया। गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री रवि कुमार हैल्पर द्वितीय को माननीय न्यायालय में वास्ते जे/सी पेश किया जावेगा।

अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री रवि कुमार हैल्पर द्वितीय (लाईनमैन सारेकला) जीएसएस हुसैपुर कार्यालय सहायक अभियंता जयपुर डिस्कॉम उप खण्ड टपूकडा जिला अलवर द्वारा एक लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीका अपनाकर परिवादी श्री वसीम अकरम पुत्र श्री इलियास खान जाति मेव उम्र 30 साल निवासी गांव खरखडी पोस्ट चुहुपुर तहसील टपूकडा जिला अलवर से उसके स्वयं के नाम से स्वीकृत शुदा घरेलू विद्युत कनैक्शन खाता सं.18022150 के. नं--210132025350 पर स्थापित विद्युत मीटर,सं–3841015 का माह सितम्बर 2002 का बिल राशि 18734/–रू. अत्यधिक आने पर उक्त अधिक बिल राशि को कम कराने एवं विद्युत मीटर को बदलने की एबज में पूर्व में 14000/–रूपये रिश्वत राशि की मांग कर दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 12.09.2022 को परिवादी से 12000/–रूपये रिश्वत की मांग कर परिवादी के निवेदन करने पर 11000/–रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होकर अपनी उक्त मांग की अनुशरण में दिनांक 14.09. 2022 को परिवादी से 11000/–रूपये की रिश्वत राशि मैन रोड बोदा मार्केट चौपानकी (टपूकडा) जिला अलवर पर मोटरसाईकिल द्वारा आकर परिवादी की केटा कार के अन्दर बैठकर प्राप्त करते हुए मय रिश्वत राशि रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाना पाया जाता है।

अतः श्री रवि कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार जाति जाट उम्र 27 साल निवासी गॉव राजपुर तहसील गन्नौर थाना मुरथल जिला सोनीपत(हरियाणा) हाल हैल्पर द्वितीय(लाईनमैन सारेकला) जीएसएस हुसैपुर कार्यालय सहायक अभियंता जयपुर डिस्कॉम उप खण्ड टपूकडा जिला अलवर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन ब्यूरो मुख्यालय जयपुर प्रेषित की जावेगी।

(महेन्द्र कुमार)
उप पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
अलवर द्वितीय, अलवर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-द्वितीय, अलवर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री रवि कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार, हैल्पर द्वितीय (लाईनमैन सारेकला), जीएसएस हुसैपुर, कार्यालय सहायक अभियंता, जयपुर डिस्कॉम उपखण्ड टपूकडा, जिला अलवर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 363/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

15.9.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 3151-55 दिनांक 15.9.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो, अलवर द्वितीय, अलवर।

15.9.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।